



2026:AHC:67261

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 7307 वर्ष 2026

राज गौतम आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मनीष मणि, विकास यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 65

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री विकास यादव, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री रत्नेश शुक्ला के साथ-साथ राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
3. आवेदक केस अपराध संख्या-579 वर्ष 2025 में धारा 137(2), 64(2) बी.एन.एस. और 5जे(ii)/6 पॉक्सो एक्ट, थाना-चिलुवतल, जिला गोरखपुर के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। पीड़िता एक सहमति देने वाली पक्ष प्रतीत होती है, जैसा कि धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किए गए उसके बयान से स्पष्ट है, जिसके तहत वह आवेदक के बुलाए जाने पर उसके पास गई थी और उसके बाद वह उसके साथ किसी स्थान पर चली गई, जहां कहा जाता है कि उसने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं। पीड़िता गर्भवती हो गई। वह अपने दिखने में बड़ी लगती है, हालांकि कक्षा IX प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी उम्र 17 साल 3 महीने और 22 दिन है, लेकिन उक्त प्रमाण पत्र में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम, 2015 की धारा 94 द्वारा मारा गया कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। सूचनाकर्ता ने एक असफल सहमति से शारीरिक संबंध को एक आपराधिक मामले में बदल दिया है।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 11.1.2026 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है। सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि उक्त भ्रूण का गर्भपात कर दिया गया है।

7. पी. युवाप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक, ए.आई.आर. 2023 एस.सी. 3525 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पीड़ित के जन्म से संबंधित अभिलेखों के अभाव में, पीड़ित की उम्र का पता लगाने के लिए संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र या निगम, नगर निगम प्राधिकरण या पंचायत के प्रमाण पत्र के अलावा किसी अन्य दस्तावेज पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

8. सहमति से रिश्तों को अपराध बनाए जाने पर बोलते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनुरुद्ध और 2026 में दर्ज एक अन्य आई.एन.एस.सी. 47 में प्रस्तर-19 में कहा है:

"19. जैसा कि ऊपर निकाले गए निष्कर्ष इंगित करते हैं, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को वर्तमान क्षेत्राधिकार के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया जाना चाहिए और इस तरह उचित निर्देशों का अभाव है। इसे इसलिए भी अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि यह जेजे अधिनियम के तहत वैधानिक नुस्खे के खिलाफ है। जो भी हो, इस न्यायालय ने इस आदेश के नेक इरादे वाले उद्देश्य को नहीं खोया है। पाँक्सो अधिनियम आज के बच्चों और कल के नेताओं की रक्षा करने के उद्देश्य से न्याय की सबसे गंभीर अभिव्यक्तियों में से एक है। फिर भी, जब इस तरह के महान और कोई यह भी कह सकता है कि बुनियादी अच्छे इरादे का दुरुपयोग



किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है और बदला लेने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है, तो न्याय की धारणा स्वयं उलटफेर के कगार पर है। अदालतों ने कई मामलों में इस स्थिति के बारे में चिंता जताई है। पॉक्सो अधिनियम का दुरुपयोग एक गंभीर सामाजिक खाई को उजागर करता है - एक तरफ बच्चों को डर से चुप करा दिया जाता है और उनके परिवार गरीबी या कलंक से विवश हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि न्याय दूर और अनिश्चित रहता है, और दूसरी ओर, विशेषाधिकार, साक्षरता, सामाजिक और मौद्रिक पूंजी से लैस लोग अपने लाभ के लिए कानून में हेरफेर करने में सक्षम होते हैं। आक्षेपित निर्णय उन कई निर्णयों में से एक है जहां अदालतों ने बात की है। न केवल ऐसे उदाहरण हैं जहां पीड़ित की उम्र को इस कानून के कड़े प्रावधानों के तहत आने के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, बल्कि ऐसे कई उदाहरण भी हैं जहां इस कानून का उपयोग परिवारों द्वारा युवा लोगों के बीच संबंधों के विरोध में किया जाता है। सतीश उर्फ चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य क्रि. विविध जमानत आवेदन संख्या-18596 वर्ष 2024, उच्च न्यायालय ने कहा कि किशोरावस्था के बीच सहमति संबंधों की बात आने पर किशोरावस्था पर अधिनियम के आवेदन के संबंध में कुछ अवसरों पर न्यायालय द्वारा चिंता व्यक्त की गई थी, चार कारकों पर प्रकाश डाला गया है, जिन पर न्यायालयों के लिए विचार करना महत्वपूर्ण है:

"A. संदर्भ का आकलन करें: प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। रिश्ते की प्रकृति और दोनों पक्षों के इरादों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

B. पीड़ित के बयान पर विचार करें: कथित पीड़ित के बयान पर उचित विचार किया जाना चाहिए। यदि संबंध सहमति से है और आपसी स्नेह पर आधारित है, तो इसे जमानत और अभियोजन के संबंध में निर्णयों में शामिल किया जाना चाहिए।



C. न्याय की विकृति से बचें: किसी रिश्ते की सहमति की प्रकृति को अनदेखा करने से अन्यायपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि गलत कारावास। न्यायिक प्रणाली को कुछ संदर्भों में उनकी स्वायत्तता की मान्यता के साथ नाबालिगों की सुरक्षा को संतुलित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। यहां उम्र एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती है।

D. न्यायिक विवेक: अदालतों को अपने विवेक का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि पॉक्सो का आवेदन अनजाने में उन व्यक्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाता है जिनकी रक्षा करना है।

[यह भी देखें: मृगराज गौतम @ रिप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य] 2023

दिल्ली उच्च न्यायालय ने **साहिल बनाम दिल्ली राज्य एनसीटी 2024:डीएचसी:6100** में आदेश के प्रस्तर-11 में उल्लेख किया कि एक लड़की के परिवार के कहने पर एक युवा लड़के के साथ रोमांटिक भागीदारी पर आपत्ति जताते हुए पॉक्सो मामले आम बात हो गए हैं और इसके परिणामस्वरूप ये युवा लड़के जेलों में बंद हैं। इसमें, गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश (**जयंतीभाई बाबूलभाई अलानी बनाम गुजरात राज्य 2018 एस.सी.सी. ऑनलाइन गुजरात 1223**) का भी संदर्भ दिया गया है, जहां न्यायालय ने कहा कि अभियोक्ता और अभियुक्त की उम्र में निकटता के साथ-साथ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ दिया था, ने कहा कि आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज पीड़िता के बयान को ध्यान में रखते हुए, जिससे वह सहमति देने वाली पक्ष प्रतीत होती है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन की **अनुमति** है।

10. आवेदक- राज गौतम जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो



ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों को सत्यापित किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा। (iii)

आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

मार्च 31, 2026

शालिनी

(कृष्ण पहल)